प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक-03.04.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी।

नशीले पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 03.04.2017 को थाना कुरारा पुलिस द्वारा अभियुक्त- राममिलन पुत्र रामसिंह निवासी नोटंकी मैदान को लगभग 350 ग्राम सूखे गांजा केस साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे म्030स0-,86/17 धारा-8/22 नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-जुआं खेलते 04 जुआंरी गिरफतार-

दिनांक 03.04.2017 को समय- 17-20 बजे 30नि0 गुलाब सिंह ने मय हमराही पुलिस बल की सूचना पर अभियुक्त-मूलचंद्र पुत्र टिका आदि 04 नफर को कंदौली से जुआं खेलते हुये गिरफ्तार किया । अभियुक्तों के कब्जे से जामा फड 1100 रु0, जामा तलाशी 240 रु0 बरामद हुआ। इस प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मुस्करा पर मु0300स0-92/17,धारा-13 जुआं एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया ।

-शान्तिभंग की आशंका मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना मौदहा पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मझगवां पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना राठ पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 04.04.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक- 03.04.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पिहया व चार पिहया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी।

चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनों में वाहनों 05 से 1200 रू० सम्मन शुल्क वसूला गया